



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-03.01.2025

थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने, छेड़छाड़, दुष्कर्म करने व धमकी देने के मामलों में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 02.12.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, छेड़छाड़ करने व धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने, छेड़छाड़, दुष्कर्म करने व धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अर्जुन पुत्र रमेशपाल निवासी मौहल्ला दक्षिणी विकासनगर एलम थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री योगेश कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2. का० सचिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3. का० लक्ष्मीकांत थाना कांधला जनपद शामली।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 12.05.2024 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अंकुश उर्फ अंकुर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम चूनसा थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री श्यामवीर सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

2.का0 हातम सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया बकरा बरामद:-

ज्ञात हो दिनांक 11.12.2024 को वादी श्री शौकीन पुत्र जरीफ निवासी नयी घास मण्डी थाना थानाभवन जनपद शामली के घर से अज्ञात चोर द्वारा बकरा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये गये बकरे सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सनव्वर पुत्र अनवर निवासी खालापार किदवई नगर थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी किया गया बकरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 सुशील कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 इन्द्रसैन थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3.है0का0 भगत सिंह भाटी थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4.का0 अमित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चरस बरामद:-

आज दिनांक 02/03.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्करों को अवैध 255 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.जुनैद पुत्र नवाब निवासी मौहल्ला सरवरपीर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

अवैध 255 ग्राम चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 सतीश त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली
- 2.है0का0 आशीष कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.है0का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

दिनांक 03.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.अहसान उर्फ राजा पुत्र मतलूब निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 सचिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 2.उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 3.है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 4.है0का0 मनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 5.का0 सनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 6.का0 दीपक यादव थाना झिंझाना जनपद शामली ।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 सट्टेबाज गिरफ्तार, कब्जे से सट्टा पर्चा, पैन, नकदी बरामद:-

आज दिनांक 03.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 सट्टेबाज को सट्टा लगाते हुये नकदी 310/- रुपये एवं एक सट्टा पर्चा, एक पैन सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. राजा पुत्र युसुफ निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. नकदी 310/- रुपये।
2. एक सट्टा पर्चा, पैन।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० के० प्रसाद सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. है०का० टिकल कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
3. का० राहुल कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।



साइबर थाना शामली की त्वरित कार्यवाही पीडित के खाते से ठगी की गई 49,999/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी:-

शिकायतकर्ता/पीडित श्री आशीष पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को टेलिग्राम पर लिंक भेजकर गूगल पर रिव्यू देने के नाम से की धनराशि हड़प ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में पीडित की तहरीर के आधार पर साइबर थाना शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल मार्गदर्शन में साइबर थाना शामली द्वारा कार्यवाही करते हुये अभियुक्त द्वारा वादी से ट्रांसफर कराई गयी धनराशि में 49,999/- रुपये को फ्रीज कराया गया था। उक्त फ्रीज धनराशि को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वादी श्री आशीष उपरोक्त के खाते में वापस करायी गयी है। श्री आशीष उपरोक्त द्वारा साइबर थाना शामली का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली टीम:-

1. श्री संजीव भटनागर प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना जनपद शामली।
2. निरीक्षक/विवेचक श्री प्रवीन कुमार साइबर थाना जनपद शामली।
3. का0अ0 विकास चौधरी साइबर थाना जनपद शामली।
4. का0 अर्चित कुमार साइबर थाना जनपद शामली।
5. का0 अनुज कुमार साइबर थाना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में ऑपरेशन कन्विकशन के अभियान के अन्तर्गत पुलिस मुठभेड़ व अवैध शस्त्र बरामदगी के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष के कारावास की सजा व 1,25,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया गया:-

1. अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्त संदीप उर्फ भरतू पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम रोहटा थाना सररपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध पुलिस मुठभेड़ व अवैध शस्त्र(पिस्टल व कारतूस) की बरामदगी के संबंध में क्रमशः मु0अ0सं0 209/2013 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 210/2013 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किये गये थे। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कैराना पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मुकदमें में नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में *आज दिनांक 03.01.2025 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL/SC/ST शामली द्वारा धारा 307 भादवि के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 50,000/- रुपये का अर्थदंड, धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध में अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व 25,000/- रुपये का अर्थदंड, धारा 27 आयुध अधिनियम के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।*

नाम व पता अभियुक्त:-

1.संदीप उर्फ भरतू पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम रोहटा थाना सररपुर जनपद मेरठ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामिल पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 10 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 14,750/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2001 में अभियुक्तगण 1.साजिद पुत्र अली नवाज 2. इरशाद पुत्र फकरुद्दीन निवासीगण ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामिल के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 51/2001 धारा 123B ZLR अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामिल द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 1995 में अभियुक्तगण 1.ताहिर पुत्र मंजूर 2.शाहदीन पुत्र रहमत निवासीगण ग्राम मंडावर थाना कैराना जनपद शामिल के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 297/1995 धारा 5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामिल द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000-1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 2017 में अभियुक्त नवाब पुत्र भूरादीन निवासी मौहल्ला आजाद चौक थाना कोतवाली शामिल जनपद शामिल के विरुद्ध थाना कोतवाली शामिल पर मु0अ0सं0 531/2017 धारा 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामिल द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2009 में अभियुक्त सुखवीर पुत्र कावश निवासी ग्राम बुच्चाखेड़ी थाना कैराना जनपद शामिल के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 539/2009 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामिल द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष 2002 में अभियुक्तगण 1.श्यामू पुत्र ब्रह्मा 2.तहसीन पुत्र कालू 3. संजय पुत्र इलमचंद निवासीगण कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामिल 4.बिशन पुत्र हरदेवा निवासी इरशादपुर थाना थानाभवन जनपद शामिल के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 378/2002 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामिल द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा 1,050-1,050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.साजिद पुत्र अली नवाज निवासी ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामिल।
2. इरशाद पुत्र फकरुद्दीन निवासी ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामिल।
- 3.ताहिर पुत्र मंजूर निवासी ग्राम मंडावर थाना कैराना जनपद शामिल।
- 4.शाहदीन पुत्र रहमत निवासी ग्राम मंडावर थाना कैराना जनपद शामिल।
- 5.नवाब पुत्र भूरादीन निवासी मौहल्ला आजाद चौक थाना कोतवाली शामिल जनपद शामिल।
- 6.सुखवीर पुत्र कावश निवासी ग्राम बुच्चाखेड़ी थाना कैराना जनपद शामिल।
- 7.श्यामू पुत्र ब्रह्मा निवासी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामिल।
- 8.तहसीन पुत्र कालू निवासी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामिल।
- 9.संजय पुत्र इलमचंद निवासी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामिल।
- 10.बिशन पुत्र हरदेवा निवासी इरशादपुर थाना थानाभवन जनपद शामिल।